

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

प्रारूप-6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिये)

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाचार्य-उमावि एवं समकक्ष पद के शिक्षा अधिकारियों को सेवा नियम 1951 के उप नियम-56 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ1(6)एफ डी/ नियम/98 दिनांक 26.12.98, प.1(6)वित्त /नियम/98 दिनांक 24.05.2004 एवं प.12(6)वित्त/नियम/20087 जयपुर दिनांक 24.03.2015 के द्वारा संशोधित नियमों के तहत उनके द्वारा (60 वर्ष की) अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख वर्णित(कॉलम संख्या-5 में अंकितानुसार) सेवानिवृति तिथि से सरकारी सेवा से अपरान्त सेवानिवृत्त किया जाता है:-


क. सं	नाम शिक्षा अधिकारी (सर्वश्री/श्रीमती)	पदनाम	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृति तिथि
1	2	3	4	5	6
1	रविन्द्र शर्मा	उप प्रधानाचार्य डाईट समकक्ष प्रधानाचार्य-उमावि	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाईट चूरु	15.08.1958	31.08.2018
2	रमेशचन्द्र शर्मा	प्रधानाचार्य	राउमावि लुहावद, ईटावा, जिला-कोटा	16.08.1958	31.08.2018
3	रमेश चन्द्र	प्रधानाचार्य	राउमावि आकोदिया, जिला-झालावाड	05.07.1958	31.07.2018
4	पुरुषोत्तम गौतम	प्रधानाचार्य	राउमावि घट्टी, किशनगढ जिला बारा	27.08.1958	31.08.2018
5	मीना राधानी (CCA-16)	उप प्रधानाचार्य डाईट समकक्ष प्रधानाचार्य-उमावि	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाईट चित्तौडगढ	17.11.1958	30.11.2018
6	रामेश्वर लाल	प्रधानाचार्य	राउमावि अडकसर जिला नागौर	30.07.1958	31.07.2018

उक्त उल्लेखित प्रधानाचार्य-उमावि व समकक्ष के संबंध में यह प्रमाणित किया जाता है कि इनके विरुद्ध आज दिनांक तक

01-राजस्थान सिविल सेवा(वगीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम 1958 के नियम-16 के अधीन क.सं 05 पर अंकित शिक्षा अधिकारी को छोड़कर शेष के विरुद्ध कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

02-राजस्थान सिविल सेवा(वगीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

03-कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।




(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/बी-2/45002/सेवानिवृत्ति/2018-19/ दिनांक 24/08/2018
प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही/पालनार्थ प्रेषित है:-

- 1-संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर।
- 2-संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा/नियन्त्रण अधिकारी को प्रेषित किया जाकर पाबन्द किया जाता है कि उल्लेखित प्रधानाचार्य-उमावि एवं समकक्ष अधिकारी से प्रारूप -6 के आशय का शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर ही पेन्शन प्रकरण संबंधी आगामी आवश्यक कार्यवाही अमल में लावे।
- 3-संयुक्त निदेशक, पेन्शन एवं पेन्शनर्स कल्याण विभाग,
- 4-सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 5-संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक
- 6-रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर